



भारत सरकार / Government of India

परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy

सचिवालय समन्वय अनुभाग / Secretariat Coordination Section

अणुशक्ति भवन/Anushakti Bhavan,

छ. शि. म. मार्ग/C.S.M Marg,

मुंबई/Mumbai - 400 001.

(☎022- 22862661)

e-mail: sectcord@dae.gov.in

No.19/4/2016-SCS / 11981

Date : 06-10-2021.

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : परमाणु ऊर्जा विभाग के सहायक लेखा अधिकारियों द्वारा वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 में चार वर्ष पूरे करने पर दिनांक 01.01.2016 से लेवल-8 से लेवल-9 में नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन के संबंध में

Subject : Non Functional Upgradation to the AAOs of DAE from Level-8 to Level-9 of Pay Matrix w.e.f. 01.01.2016 on completion of four years in the grade of Level 8 – Regarding

विभाग के दिनांक 04.02.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/1/2011-IR&W/Vol.IX/1722 द्वारा विभाग में तीसरा कैडर रिव्यू लागू करने के लिए राष्ट्रपति के अनुमोदन की सूचना दी है साथ ही यह भी सूचित करना है कि पञ्चवि के उपरोक्त संदर्भित दिनांक 04.02.2021 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3(a) के अनुसार जो सहायक लेखा अधिकारी प्रारंभ में लेवल-8 में नियुक्त हुए थे उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने की शर्त पर उनके अगले उच्चतर लेवल-9 में नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन प्रदान किया जाएगा।

Department vide OM No. 12/1/2011-IR&W/Vol.IX/1722 dated 04.02.2021, conveyed the approval of President for implementation of the 3rd Cadre Review in the Department and to state that in accordance with Para 3(a) of DAE OM dated 04.02.2021 referred to above, the Assistant Accounts Officers (AAOs) appointed initially at Level-8 shall be granted Non-Functional Upgradation to their next higher Level-9 on completion of four-years regular service subject to fulfilment of all conditions laid down by the Government of India.

2. दिनांक 04.02.2021 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के आधार पर विभाग ने दिनांक 04.05.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19/4/2016-SCS/5554 द्वारा उन सहायक लेखा अधिकारियों का वेतन मैट्रिक्स के लेवल-9 में नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन निर्धारित शर्तों को पूरा करने की शर्त पर अनुमोदन प्रदान करने के बारे में सूचित किया था जिन्होंने लेवल-8 में चार वर्ष की सेवाएँ पूरी कर ली हैं।

Based on the above OM dated 04.02.2021, the Department vide OM No. 19/4/2016-SCS/5554 dated 04.05.2021 conveyed approval for grant of Non-Functional Upgradation in Level-9 of the Pay Matrix w.e.f. 04.02.2021 to those AAOs of Department of Atomic Energy, who have completed four years in the grade of Level-8, subject to fulfilment of all the conditions in the matter.

3. इस संबंध में, परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) के सहायक लेखा अधिकारियों का वेतन वित्त मंत्रालय के दिनांक 04.07.2018 के कार्यालय जापन संख्या A-60015/1/2014/MF.CGA/NGE/7th CPC/238 के अनुसार केंद्रीय सिविल लेखा सेवा के समतुल्य करने के लिए लेवल-8 में चार वर्ष की सेवा पूरी करने पर दिनांक 01.01.2016 से वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 से लेवल-9 में नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड प्रदान करने हेतु एक प्रस्ताव सदस्य वित्त के पास उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था। सदस्य वित्त, परमाणु ऊर्जा आयोग ने दिनांक 16.09.2021 के टिप्पण संख्या JS(F)/DAE/IV/3/31/78 द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की है;

In this regard, a proposal for grant of Non-Functional Selection Grade from Pay Matrix Level 8 to Level 9 w.e.f. 01.01.2016 to the Assistant Accounts Officers (AAO) of the Department of Atomic Energy (DAE) on completion of four years in the grade of Level 8 on par with the Central Civil Accounts Service as per M/o Finance OM No. A-60015/1/2014/MF.CGA/NGE/7th CPC/238 dated 04.07.2018 was taken up with Member for Finance for seeking its concurrence. Member for Finance, AEC vide Note No. JS(F)/DAE/IV/3/31/78 dated 16.09.2021 has concurred the proposal subject to the following conditions;

(i) सहायक लेखा अधिकारियों को वित्त मंत्रालय के दिनांक 04.07.2018 के कार्यालय जापन के संदर्भ में दी गई संस्वीकृति तीसरा कैडर रिव्यू लागू करने के लिए पऊवि के दिनांक 04.02.2021 द्वारा सूचित एनएफएसजी की संस्वीकृति पर लागू होगी।

The grant of NFSG to AAOs of DAE in terms of MoF OM dated 04.07.2018 will prevail on the grant of NFSG conveyed vide DAE OM dated 04.02.2021 for implementation of 3rd Cadre Review.

(ii) किसी भी व्यक्ति को दोनों आदेशों का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

No person should get benefit of both the orders and;

(iii) इस आदेश को लागू करने पर किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण परिस्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए।

No anomalous situation should arise as a result of the implementation of this order.


4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 01.01.2016 से परमाणु ऊर्जा विभाग के उन सहायक लेखा अधिकारियों के लेवल-9 में नॉन-फंक्शनल अपग्रेडेशन हेतु विभाग के सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सूचित करने का निदेश अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है जिनकी लेवल-8 में चार वर्षों की सेवा पूरी हो गई हो तथा वे इस संबंध में लागू सभी शर्तों को पूरा करते हों।
In view of the above, the undersigned is directed to convey approval of the Competent Authority in the Department for grant of Non-Functional Upgradation in Level-9 of the Pay Matrix w.e.f. 01.01.2016 to those AAOs of Department of Atomic Energy, who have completed four years in the grade of Level-8, subject to fulfilment of all the conditions in the matter.

5. इसके साथ ही उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन को लागू करते समय सभी इकाइयाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि पैरा 3 के बिंदु संख्या (i) से (iii) में दी गई शर्तों का सख्ती से अनुपालन हो।

Also, while implementing the aforesaid OM, the units shall ensure that the conditions mentioned at (i) to (iii) of para 3 are strictly adhered to.

6. इसे विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


This issues with the approval of Competent Authority in the Department.


(एस.एस.देवकर S. S. Deokar)
अवर सचिव (एससीएस)
Under Secretary(SCS)

परमाणु ऊर्जा विभाग की सभी संघटक इकाइयों के प्रमुख
All Heads of Constituent Units of DAE

प्रतिलिपि Copy to :

1. मुख्य लेखा नियंत्रक, पऊवि Chief Controller of Accounts, DAE.
2. निदेशक (प्रशासन/कैडर), पऊवि Director(Admn / Cadre), DAE.
3. परमाणु ऊर्जा विभाग की सभी संघटक इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख
All Administrative Heads of Constituent Units of DAE.
4. पऊवि के सभी अधिकारी एवं अनुभाग (DARPAN के माध्यम से)
All Officers & Sections in DAE (through DARPAN).
5. गार्ड फाईल संख्या 107 Guard File No. 107.


(एस.एस.देवकर S. S. Deokar)
अवर सचिव (एससीएस)
Under Secretary(SCS)